

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 05/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली 31 मार्च, 2023

सा.का.नि.(अ)--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 8 के उपनियम (4ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 903(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, "के उपबंध गुजरात राज्य के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में लागू नहीं होंगे ।" शब्दों के स्थान पर, "का परंतुक गुजरात राज्य के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में लागू नहीं होगा ।" शब्द रखे जाएंगे ।

2. ये 26 दिसंबर, 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)

निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 903(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।